500/2017

321
प्र.ख्या.

अत्यन्त महत्वपूर्ण

संख्या : 336 / 2017–42(5)/2007

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

51-118

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक,
जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।

कृषि एवं विपणन (जलागम)अनुभाग देहरादून : दिनांक 28 अगस्त, 2017

विषयः जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अन्तर्गत लम्बी अवधि से तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कम में परियोजना निदेशक (प्रशासन) के पत्रसंख्या 4418/5–26(III)(2017–18) दिनांक 07.06.2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के लम्बी अवधि से तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की सूचना प्रेषित की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अन्तर्गत केन्द्र पोषित/वाह्य सहायतित योजनाओं के संचालन हेतु विभिन्न रेखीय विभागों के कतिपय अधिकारी/कर्मचारी काफी लम्बी अवधि से तैनात हैं तथा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी भी हैं, जो वर्तमान/अगले वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। साथ ही जलागम विभाग की स्वीकृत संरचना में सृजित पदो के सापेक्ष रेखीय विभागों से पर्याप्त कार्मिक उपलब्ध न होने के कारण जलागम विभाग द्वारा संचालित परियोजनाओं के कियान्वयन में कठिनाई भी विभाग द्वारा व्यक्त की जाती रही है।

3– जलागम विभाग के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं का कियान्वयन समयबद्धता के आधार पर हो और विभिन्न रेखीय विभागों से कार्मिकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सके, के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये हैं:–

1– प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण से भरे जाने वाले पदो के सम्बन्ध में जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा स्वीकृत/भरे/रिक्त पदों का विवरण एवं पद जिस विभाग से सम्बन्धित हो, का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।।

2– विभिन्न विभागों के जलागम में तैनात ऐसे कार्मिक, जिनकी सेवानिवृत्ति अगले वर्ष तक होनी है, की सूचना जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा उनके मूल/पैतृक विभाग को प्रेषित की जाय।

3– ऐसे सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को उनके मूल विभाग में भेजे जाने की प्रकिया समयान्तर्गत जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा प्रारम्भ की जाय तथा उनके स्थान पर सम्बन्धित विभाग से प्रतिस्थानी उपलब्ध कराने हेतु लिखा जाय ताकि सम्बन्धित को सेवानिवृत्ति के समय सेवानैवृत्तिक लाभों/पैंशन आदि की स्वीकृति प्रकिया में कठिनाई न हो और जलागम के अन्तर्गत कार्मिकों की उपलब्धता बनी रहे।

4— समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों, जिन्हें जलागम विभाग के अन्तर्गत लम्बी अवधि हो गई हो, के प्रतिस्थानी के रूप में विभिन्न विभागों से जलागम की स्वीकृत संरचना में पद/वेतनमान की प्रास्थिति के अनुसार दिनांक 27.11.2015 की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में प्रस्ताव प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय। इसी प्रकार समूह 'ग' के सम्बन्ध में जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जाय।

5— जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि विभागान्तर्गत कियान्वित की जा रही केन्द्र पोषित/वाह्य सहायतित परियोजनाओं का कार्य बाधित न हो और परियोजनायें समयान्तर्गत पूर्ण हो सकें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तवत् अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्या : 336 / 2017—42(5)/2007 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— निजी सचिव, जलागम मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2— निजी सचिव— मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3— निजी सचिव— अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4— सचिव/प्रमुख सचिव, वन/उद्यान/कृषि/पशुपालन/लघु सिंचाई/ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
5— आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड।
6 प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
7— निदेशक, उद्यान/कृषि/पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।
8— मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एम0सेमवाल)
संयुक्त सचिव